

प्रेस-विज्ञप्तिथाना जीयनपुर

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18/11/2023 को उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त शहबाज अहमद पुत्र निसार अहमद नि0 कुरैशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को कुरहंस मोड (काली माता मंदिर के पास) से समय करीब 21.15 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 742/2023 धारा-- 3/25 A Act पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 0742 /23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- शहबाज अहमद पुत्र निसार अहमद नि0 कुरैशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	246/2016	3/5/8 गोबध नि0 अधिनियम व 419/420/467/468 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
2	742/2023	3/25 आर्मस एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
- का0 अजीत चौहान थाना जीयनपुर आजमगढ़
- का0 अर्जुन पटेल थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़।

थाना – अहरौला

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 05.11.2023 को वादी मुकदमा जुग्गीलाल गिरी पुत्र स्व0 रामनाथ ग्राम जेरोपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री को अविनाश गिरी तथा वादी के गाँव के रिश्तोदार मिलकर बहला फुसलाकर भगा ले गये जिसके सम्बंध मे थाना स्थानीय मु0अ0सं0 362/23 धारा 363/366 भादवि0 बनाम 1. अविनाश गिरी पुत्र अज्ञात पता अज्ञात 2. सत्येन्द्र गिरी उर्फ मदन पुत्र स्व0 विश्वनाथ 3. रवीन्द्र गिरी पुत्र स्व0 विश्वनाथ 4. अज्ञात पत्नी रवीन्द्र समस्त निवासी जेरोपुर के विरुद्ध थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 19.11.2023 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अविनाश गिरी पुत्र अवधेश गिरी निवासी सरायमेवा गिरी थाना मधुबन जनपद उम्र 22 वर्ष को फुलवरिया तिराहा से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 362/23 धारा 363/366/354(ग)/506/417/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अविनाश गिरी पुत्र अवधेश गिरी निवासी सरायमेवा गिरी थाना मधुबन जनपद उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, हे0का0 सुभाषचन्द्र यादव व का0 विशाल सोनकर थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना फूलपुर

दुष्कर्म में अभियुक्त का साथ देने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.09.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि सोनू पुत्री बाबूलाल ग्राम खान्जहापुर थाना फूलपुर आजमगढ़ वादिनी को अपने घर बुलायी तथा नींद की गोली देकर अभियुक्त लालचन्द को अपने घर बुला लिया तथा अभियुक्त लालचन्द ने वादिनी के साथ से जबदस्ती दुष्कर्म किया तथा घर वालो को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया जिसके आधार पर थाना फूलपुर मु0अ0सं0 391/2023 धारा 376,328,506 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट बनाम 1. लालचन्द पुत्र उदयराज निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, 2. सोनू पुत्री बाबूलाल ग्राम खान्जहापुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 19-11-2023 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता सोनू पुत्री बाबूलाल साकिन खानजहाँपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को खानजहाँपुर तिराहे से समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 391/2023 धारा 376,328,506 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- 1 सोनू पुत्री बाबूलाल साकिन खानजहाँपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 रज्जन द्विवेदी, का0 अरविन्द कुमार यादव, म0का0 संजू सरोज थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।